न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी P-3829-II/16

अमरजीत गुप्ता पुत्र रामसुरेश गुप्ता,
निवासी ग्राम पहरिया, तहसील सिहावल,
जिला सीधी-मध्यप्रदेश ।

---- प्रार्थी

बिरुध्द

१- राजारतन पुत्र रामसुन्दर जायसवाल,
२- बुध्द सेन पुत्र लालईराम,
३- वृहस्पति पुत्र लालईराम,
४-निवासीगण ग्राम पहरिया, तहसील सिहावल
जिला सीधी, मध्यप्रदेश ।
४- नारायण पुत्र कुंजविहारी बानी,
निवासी- कुबवही तहसील सिहावल जिला
सीधी-मध्यप्रदेश ।
५- मध्यप्रदेश शासन ---- प्रतिप्रार्थीगण

प्रस्तु० कं० [illegible] 8-11-16

474
8-11-16

[illegible] 99196

निगरानी बिरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय, सीधी दिनांक १२-१०-१६, अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २/१४-१५ एवं ४/१५-१६ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3829-दो/2016 जिला, सीधी

अमरजीत विरूद्ध राजराखन व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 04/अपील/2015-16 व 02/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 19-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 12.3.19 सदस्य	